न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी	:–	श्री अशोक कुमार , आर. ए. एस.
वाद संख्या	:–	35/2024

उनवान

1. नीरा सुरेश भार्गव पत्नि सुरेश भार्गव, जाति भार्गव, निवासी जी–24, सिद्धार्थ एन्कलेव नई दिल्ली हालवासी मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– वादी

बनाम

1. उदयचन्द पुत्र त्रिलोकचन्द
2. मदनलाल पुत्र त्रिलोकचन्द
3. रामेश्वर पुत्र त्रिलोकचन्द
4. कानाराम पुत्र रामलाल
5. भगवान सहाय पुत्र रामलाल
6. उम्मेद सिंह पुत्र रामलाल
7. गीता देवी पुत्री रामलाल
8. राधा देव पुत्री रामलाल
9. रूकमा देवी पुत्री रामलाल
10. चन्दी देवी पुत्री रामलाल
11. सुन्दरी देवी पत्नि रामलाल उर्फ रामू यादव
12. पूरणमल पुत्र बोदूराम
13. मंगलचन्द पुत्र बोदूराम
14. जगदीश प्रसाद पुत्र बोदूराम
15. हनुमान सहाय पुत्र बोदूराम
16. गिरधारी लाल पुत्र बोदूराम
17. गुलाब देवी पुत्री बोदूराम
18. कमली देवी पुत्री बोदूराम
19. गणपति देवी पत्नि बोदूराम

    समस्त जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण, राज0।
20. उपपंजीयक अधिकारी उपपंजीयक कार्यालय उपतहसील मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)।
21. राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपर, (राज0)।
22. उपपंजीयक अधिकारी उपपंजीयक कार्यालय शाहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)।
23. यूको बैंक शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट – 1955

निर्णय दिनांक :– 15/5/24

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता संख्या 2103 रकबा 0.951 कुल किता 1 कुल रकबा 0.4951 है0 वाकै ग्राम कल्याणपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला यपुर में स्थित है, जिसकी खातेदारी जमाबंदी में दर्ज अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। खातेदार बोदूराम पुत्र गोपी फौत हो चुका है जिसके प्रतिवादी सं0 2 लगायत 19 विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी है। उक्त वर्णित आराजी मुतनाजा में वादी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। उक्त वणित आराजी मुतनाजा का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 के मध्य कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 के मन में आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग व उपजाउ भाग को लेकर दुर्भावना आ गई है और वे आराजी मुतनाजा का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही विशिष्ट भू–भाग को किसी अजनबी लठैत व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में प्रतिवादी संख्या 20 के कार्यालय में अन्तरण डीड पंजीबद्ध कराने तथा प्रतिवादी संख्या 21 से आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन कराने पर आमादा है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 को ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 का ऐसा कृत्य गलत एवं गैरकानूनी है।

यह कि कुछ दिन पूर्व प्रतिवादीगण संख्या–1 लगायत 19 अजनबी व्यक्तियों को लेकर वादीगण के कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजी मुतनाजा की भूमि पर आये और उक्त विवादित भूमि की सीमाएं बेचान करने के उद्देश्य से दिखाने लगे व मौके पर नाप जोख करने लगे तो वादीगण ने नापजोख करने का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण वादी से नाराज हो गये तथा आवेश में आकर वादी को ऐलानियां है कि वह आराजी मुतनाजा का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को अजनबी व्यक्तियों को बेचान कर उनके पक्ष में अन्तरण करवाकर आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करवाकर रहेंगे तथा अजनबी व्यक्ति का वादी को जबरन बेदखल कर आराजी के विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करवाकर रहेंगें। यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 19 अपने अवैध मन्सूबों में सफल हो गये और उन्होंने आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग का बेचान अजनबी व्यक्तियों को कर उनके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्ध करवाकर व आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करवाकर वादीगण को आराजी मुतनाजा से जबरन बेदखल कर आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग पर अजनबी व्यक्तियों का कब्जा करवा देंगे तो इससे वादी के खातेदारी हक अधिकारों का हनन होगा जिससे वादी को कथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में संभव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारों में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढ़ेगी। इस कारण वादी को यह वाद प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 19 के विरूद्ध आराजी का बंटवारा करवाने व उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

दी प्रश्नगत आराजी मुतनाजा का रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने से बंटवारा करवाने
पूर्ण अधिकारी है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खाता संख्या 2103 रकबा 0.4951 है0 कुल कता 1 कुल रकबा 0.4951 है0 वाकै ग्राम कल्याणपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर का वादी वं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व बोर्ड की नियमानुसार के अनुसार सररा नरस के आधार पर ानूनी बंटवारा किये जाने की आज्ञा प्रदान करे तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा पृथक पृथक लगान का निर्धारण किया जावे। साथ ही बंटवारे में आयी भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण उनके नौकर, प्रतिनिधि, एजेन्ट, स्थानापन्नों व अन्य परिवारजन को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिये पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के हिस्से व कब्जे में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे बल्कि वादी को शांति पूर्वक काबिज रहकर उपयोग उपभोग करने दे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधीवत सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण बावजूद तामील के होने के उपरांत उपस्थित नहीं आये। प्रकरण में वकील वादी द्वारा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर आया कि प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद तामिल कोई उपस्थित नहीं है एवं दावा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का है। अतः दिनांक 25.04.2024 को प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 22 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार, तहसील शाहपुरा को बंटवारा रिपोर्ट प्रस्ताव भिजवाने बाबत् आदेशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार, तहसील शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/2190 दिनांक 06.05.2024 के द्वारा प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया। तहसीलदार, तहसील शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित है। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व प्राप्त बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार बंटवारा रिपोर्ट सही होना प्रतीत होती है । अतः दावा अन्तिम डिकी किया जाना उचित समझते है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

आदेश

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री किया जाता है। ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा के हाल खाता संख्या 154 के आराजी खसरा नम्बर 2103 रकबा 0.4951 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4951 है0 भूमि का पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :–

1. उदयचन्द पुत्र त्रिलोकचन्द हि0 3301/21306 जाति अहीर सा0 जी खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा शाहपुरा, मदनलाल पुत्र त्रिलोकचन्द हि0 3301/21306 जाति अहीर

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

सा0 जी खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा शाहपुरा, रामेश्वर पुत्र त्रिलोकचन्द हि0 3301/21306 जाति अहीर सा0 जी खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा शाहपुरा, उम्मेद सिंह पुत्र रामलाल उर्फ रामू जाति अहीर हि0 250/10653 सा0 देह खातेदार, कानाराम पुत्र रामलाल उर्फ रामू जाति अहीर हि0 250/10653 सा0 देह खातेदार, भगवान सहाय पुत्र रामलाल उर्फ रामू जाति अहीर हि0 250/10653 सा0 देह खातेदार, बोदूराम पुत्र गोपी हि0 16505/35510 जाति अहीर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 2103/2 रकबा 0.3551 है0 किता 1 कुल रकबा 0.3551 है0 भूमि रहेगी।

2. नीरा सुरेश भार्गव पत्नी सुरेश भार्गव हि0 सम्पूर्ण निवासी जी 24 सिद्धार्थ एन्कलेव नई दिल्ली हाल निवासी मनोहरपुर खातेदार के हिस्से आराजी खसरा नंबर 2103/1 रकबा 0.1400 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1400 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15/5/24 को सरै इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर राज. शाहपुरा (जिला-जयपुर) सत्यमेव जयते

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सहायक कलक्टर (जयपुर ग्रामीण)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 35/2024

उनवान

1. नीरा सुरेश भार्गव पत्नि सुरेश भार्गव, जाति भार्गव, निवासी जी–24, सिद्धार्थ एन्कलेव नई दिल्ली हालवासी मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– वादी

बनाम

1. उदयचन्द पुत्र त्रिलोकचन्द
2. मदनलाल पुत्र त्रिलोकचन्द
3. रामेश्वर पुत्र त्रिलोकचन्द
4. कानाराम पुत्र रामलाल
5. भगवान सहाय पुत्र रामलाल
6. उम्मेद सिंह पुत्र रामलाल
7. गीता देवी पुत्री रामलाल
8. राधा देव पुत्री रामलाल
9. रुकमा देवी पुत्री रामलाल
10. चन्दी देवी पुत्री रामलाल
11. सुन्दरी देवी पत्नि रामलाल उर्फ रामू यादव
12. पूरणमल पुत्र बोदूराम
13. मंगलचन्द पुत्र बोदूराम
14. जगदीश प्रसाद पुत्र बोदूराम
15. हनुमान सहाय पुत्र बोदूराम
16. गिरधारी लाल पुत्र बोदूराम
17. गुलाब देवी पुत्री बोदूराम
18. कमली देवी पुत्री बोदूराम
19. गणपति देवी पत्नि बोदूराम

    समस्त जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण, राज0।
20. उपपंजीयक अधिकारी उपपंजीयक कार्यालय उपतहसील मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)।
21. राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपर, (राज0)।
22. उपपंजीयक अधिकारी उपपंजीयक कार्यालय शाहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)।
23. यूको बैंक शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट – 1955

निर्णय दिनांक :– 15/5/24

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम डिक्री किया जाता है। ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा के हाल खाता संख्या 154 के आराजी खसरा नम्बर 2103 रकबा 0.4951 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4951 है0 भूमि का पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :–

1. उदयचन्द पुत्र त्रिलोकचन्द हि0 3301/21306 जाति अहीर सा0 जी खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा शाहपुरा, मदनलाल पुत्र त्रिलोकचन्द हि0 3301/21306 जाति अहीर सा0 जी खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा शाहपुरा, रामेश्वर पुत्र त्रिलोकचन्द हि0 3301/21306 जाति अहीर सा0 जी खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा शाहपुरा, उम्मेद सिंह पुत्र रामलाल उर्फ रामू जाति अहीर हि0 250/10653 सा0 देह खातेदार, कानाराम पुत्र रामलाल उर्फ रामू जाति अहीर हि0 250/10653 सा0 देह खातेदार, भगवान सहाय पुत्र रामलाल उर्फ रामू जाति अहीर हि0 250/10653 सा0 देह खातेदार, बोदूराम पुत्र गोपी हि0 16505/35510 जाति अहीर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 2103/2 रकबा 0.3551 है0 किता 1 कुल रकबा 0.3551 है0 भूमि रहेगी।
2. नीरा सुरेश भार्गव पत्नी सुरेश भार्गव हि0 सम्पूर्ण निवासी जी 24 सिद्धार्थ एन्कलेव नई दिल्ली हाल निवासी मनोहरपुर खातेदार के हिस्से आराजी खसरा नंबर 2103/1 रकबा 0.1400 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1400 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय व डिक्री आज दिनांक ....15/5/24..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned with OKEN Scanner